न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 181/2024 निर्णय दिनांक:19.12.2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/386
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1.मानाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. उपपंजीयक श्रीडूंगरगढ़

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी पैरोकार राज की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है उपर्युक्त अनुवानी का वाद श्रीमान्जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। पटवारी से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा खसरा नम्बर 685/267 व खसरा नंबर 687/287 रकबा क्रमशः 3.1360 हैक्टेयर व 0.4552 हैक्ट किस्म बारानी भूमि में खातेदार द्वारा बिना किसी स्वीकृति आदि के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से छोटे—छोटे भूखण्डों के रूप में काटकर विक्रय करने का कार्य किया जा रहा है। कृषि भूमि का उपयोग खातेदार केवल रहने एवं पशुचारा डालने का अधिकार हेतु ही उपयोग कर सकता है कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन बिना सक्षम अनुमति के नही किया जा सकता है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर कृषि भूमि को कृषि उपयोग में नही ली जाकर छोटे—छोटे भू—खण्ड बनाने का कार्य अकृषि प्रयोग के लिए की जा रही है। प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अभी भी छोटे—छोटे भू—खण्ड बनाने का कार्य किया जाकर अकृषि प्रयोग में किया जा रहा है। अगर इन्हे अंतरिम निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो सम्पूर्ण कृषि भूमि को अकृषि उपयोग हो जाएेगा और प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादगत भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 685/267 व खसरा नंबर 687/287 रकबा क्रमशः 3.1360 हैक्टेयर व 0.4552 हैक्ट किस्म बारानी रोही बेनीसर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस में पेश हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर ताफैसला वाद मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 685/267 व खसरा नम्बर 687/287 रकबा क्रमश 3.1360 व 0.4552 हैक्टेयर किश्म बारानी है। वादगत खेतो को कृषि कार्य के लिये ही उपयोग किया जाता रहा है। वादगत खेतो को कतई अवैध रूप से छोटे छोटे भूखण्डो में काटकर विक्रय करने का कार्य नही किया जा रहा है हल्का पटवारी की रिर्पोट दिनांकित 02.09.2024 बिल्कुल ही मौका कि वास्तविक स्थिति के विपरित तैयार की गई है। पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिर्पोट में वर्णित किया है कि भूखण्ड काटने वाली बात लोगो द्वारा बताई हुई अंकित की है हल्का पटवारी ने फर्द मौका रिर्पोट में सुनी सुनाई बाते अंकित की है तथा फर्द मौका रिर्पोट में जिन दो व्यक्तियो के हस्ताक्षर करवाये है वो दोनो ही व्यक्ति ढुकरियासर गांव के रहने वाले है जिनका वादगत खेत के पास कोई खेत नही है। वादगत खेत मे ना तो छोटे छोटे टुकड़े काटे गये है ओर ना ही कृषि कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य किया जा रहा है। हल्का पटवारी कि रिर्पोट की कानूनी की नजर में कोई अहमियत नही है। कृषक को अपनी खातेदारी भूमि में रहने व पशु चारा डालने के लिये मकान बनाने का अधिकार व भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये झाड़िया आदि काटने भूमि को कृषि कार्य आदि के लिये समतल आदि करने का अधिकार होने के तथ्य स्वीकार है। हल्का पटवारी अविधिक गलत व मौका कि वास्तविक स्थिति के विपरित है। वादगत कृषि भूमि में कतई कोई छोटे छोटे भूखण्ड बनाने का कार्य नही किया जा रहा है ओर ना ही वादगत कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लायी जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 कृषि पेशा व्यक्ति है अप्रार्थी संख्या 1 ने मौका पर कतई छोटे छोटे भूखण्ड नहीं काटे है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि को उपजाउ बनाने के लिये व अच्छी फसल प्राप्त करने के लिये कई सुधार कार्य करवाये है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि को विक्रय बेय हस्तातंरण मुतकिल करने में कानूनन सक्षम है। प्रार्थी के पक्ष में नातो प्रथम दृष्टया मामला है ओर ना ही अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा तैयार कि गई फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 02.09.2024 मौका कि वास्तविक स्थिति कि विपरित है तथा लोगो द्वारा बताने पर तैयार कि हुई है ऐसी स्थिति में उक्त रिर्पोट की कानूनी की नजर में कोई अहमियत नही है। वादगत खेत के मौका निरीक्षण के पूर्व अथवा समय हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित नही किया गया ओर ना ही रिर्पोट पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्तारक्षर है उक्त रिर्पोट बाला बाला ही तहसील कार्यालय में बेठकर तैयार की गई है जो मौका की वास्तविक स्थिति के विपरित है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी संख्सा 1 को ना तो सूचना दी ओर ना ही अप्रार्थी संख्या 1 से कोई पूछताछ कि गई ओर ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही उत्पन्न नही हुआ है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कतई अवैध रूप से छोटे छोटे प्लाट [illegible] भूमि को विक्रय नही किया जा रहा है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से [illegible] के बहकावे में आकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वास्तविकता तो यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी

(3)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:12:03 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की भूमि खसरा 685/267 तादादी 3.1360 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 687/287 तादादी 0.4552 हैक्टेयर भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 17.03.2024 को विक्रय करने का इकरार किया था तथा दिनांक 17.09.2024 को उपरोक्त कृषि भूमि विक्रय कि जानी थी परन्तु कुछ भूमाफिया लोगो के प्रभाव में आकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारो पर प्रस्तुत कर साथ में स्थगन आदेश प्राप्त किया है ताकी विवाद उत्पन्न करके उक्त भूमि को भूमाफिया व्यक्ति खरीद सके। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि कतई छोटे छोटे टुकड़ो में प्लाट काटने के लिये विक्रय नही कि है केवल कृषि कार्य के लिये ही विक्रय करने का इकरार किया है । अप्रार्थी संख्या 1 ने मौका पर कतई कोई प्लाट नही काटे है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कृषि भूमि में छोटे छोट प्लाट काटकर विक्रय करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थी साफ हाथो से न्यायालय में नही आया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रोही ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ के खेत खसरा नम्बर 685/267 व खसरा नम्बर 687/287 रकबा क्रमश 3.1360 व 0.4552 हैक्टेयर किश्म बारानी है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 02.09.2024 में मौके पर कुछ जगह पर मिटटी की खुदाई कर समतलीकरण करनें एवं लोगो की पुछताछ के आधार पर कृषि भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डों में वर्गीकरण कर अकृषि कार्य हेतु विक्रय किया जा रहे है का फर्द मौका में अंकन किया गया है। जबकि अपनी खातेदारी भूमि को उपजाउ बनाने के लिये व अच्छी फसल प्राप्त करने के लिये सुधार कार्य करवाने एवं अपनी खातेदारी कृषि भूमि को विक्रय बेय हस्तातंरण मुतकिल करने में खातेदार कानूनन रूप से सक्षम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कही भी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी प्रकार को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है कि किस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में नही लिया जाकर छोटे–छोटे भूखण्ड बनानें में किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:52:03 IST
Reason: SelfAttested